कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026–27 हेतु जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद सिविल लाईन स्थित परिसर के निम्नलिखित ठेकों की नीलामी हेतु दिनांक 27–02–2026 को अपरान्ह 1:00 बजे तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा उसी दिन समय सायं 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य केन्द्रीय सभागार में ठेकों की नीलामी की जायेगी।

1–ठेका – कैंटीन (चाय, नमकीन, नाश्ता, फ्रूट, जूस एवं पानी आदि)	(बतौर अग्रिम धनराशि 1,50,000/–रू0)
2–ठेका – ठेका साइकिल स्टैन्ड।	(बतौर अग्रिम धनराशि 1,50,000/–रू0)
3–ठेका – फोटो स्टेट मशीन।	(बतौर अग्रिम धनराशि 150,000/–रू0)
4–ठेका – फोटो ग्राफर।	(बतौर अग्रिम धनराशि 100,000/–रू0)
5–ठेका – मजमा।	(बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/–रू0)
6–ठेका – पैन व लेखन सामग्री।	(बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/–रू0)

नीलामी हेतु समय से पूर्व बोली बोलने वाला, जिस ठेके की बोली में भाग लेना चाहता है, उसकी निर्धारित बतौर अग्रिम जमानत धनराशि नजारत में जमा करेगा, जो बोली स्वीकार होने पर ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दी जायेगी। शेष नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद से देखी जा सकती हैं।

(नरेश कुमार दिवाकर)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सी0 जे0 एम0,
फिरोजाबाद।

(मुमताज अली)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम,
फिरोजाबाद।

(सुनील कुमार सिंह)
अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपिः–

निम्नलिखित को सूचना पट पर चस्पा करने व बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1–माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
2–जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
3–स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
4–जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
5. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।

5. रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।

Seen. Approved.

District Judge,
Firozabad.

DISTRICT JUDGE
FIROZABAD

वर्ष 2026–2027 के लिए ठेकों के नियम व शर्तें निम्नवत् होंगी।

1– ठेका नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को ठेका नीलामी में भाग लेने से पूर्व निम्न प्रकार बतौर अग्रिम धरोहर धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करानी होगीः–

(a)–ठेका – कैंटीन (चाय, नमकीन, नाश्ता, फ्रूट, जूस एवं पानी आदि) (बतौर अग्रिम धनराशि 1,50,000/–रू0)
(b)–ठेका – ठेका साइकिल स्टैन्ड। (बतौर अग्रिम धनराशि 1,50,000/–रू0)
(c)–ठेका – फोटो स्टेट मशीन। (बतौर अग्रिम धनराशि 1,50,000/–रू0)
(d)–ठेका – फोटो ग्राफर। (बतौर अग्रिम धनराशि 100,000/–रू0)
(e)–ठेका – मजमा। (बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/–रू0)
(f)–ठेका – पैन व लेखन सामग्री। (बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/–रू0)

2– ठेके की अवधि दिनांक 01–04–2026 से दिनांक 31–03–2027 तक होगी।
3– प्रत्येक ठेकेदार को नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय अपना आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की प्रति भी धरोहर धनराशि के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4– अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के पक्ष में छोडा जायेगा तथा जिन बोली बोलने वाले व्यक्तियों की बोली स्वीकृत नहीं होगी तो उनकी धरोहर धनराशि अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी।
5– जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके/दुकान को अनुमोदित किया जायेगा, उस व्यक्ति/ठेकेदार को अपने साथ दो जमानतदार (मय जमानत प्रपत्र) भी उपस्थित करना पड़ेगा।
6– जिस ठेकेदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसे बोली के समापन के तुरन्त बाद सम्बन्धित ठेके की धनराशि का 1/4 भाग बतौर ठेका की धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। यदि बोलीदाता द्वारा यह धनराशि जमा न की गयी तो उसकी धरोहर धनराशि राज्य सरकार के हित में जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका दूसरे अधिकतम बोलीदार को उठा दिया जायेगा।
7– ठेकेदारों को शेष धनराशि की तीन समान किस्तें क्रमश 30.06.2026, 30.09.2026 व 31.12.2026 तक अवश्य जमा करनी होंगी। अन्यथा उसका ठेका शेष अवधि के लिए समाप्त समझा जायेगा तथा कार्य स्थल पर नजारत द्वारा ताला बन्दी करके ठेके की शेष अवधि के लिए पुनः कार्यवाही करते हुए शेष धनराशि की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, तथा ठेके की शेष धनराशि ठेकेदार से भूराजस्व के बकाया की तरह उसकी चल व अचल सम्पत्ति से वसूल की जायेगी तथा पुनः नीलामी की बोली पर होने वाली हानि भी हर्जे–खर्चे सहित उक्त ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
8– ठेका स्वीकृत होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियमानुसार 100 रू0 के स्टांम्प पेपर पर इकरारनामा लिख कर दाखिल करने के बाद ठेकेदार को ठेका प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी। इकरारनामे पर ठेकेदार के दो नवीनतम फोटो पासपोर्ट साइज भी लिए जायेंगे।
9– प्रत्येक ठेकेदार ठेके पर दुकान का संचालन करेगा, तथा अपने ठेके पर ली दुकान को किसी अन्य के द्वारा संचालित नहीं करायेगा, और न ही किसी को अन्य प्रकार से दुकान पर किसी प्रकार का माल आदि बेचने को अधिकृत करेगा। निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कोई ठेकेदार अपना कार्य नहीं कर सकेगा।
10– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को, किसी भी व्यक्ति की बोली को निरस्त करने का अधिकार होगा।
11– ठेकेदार को दुकान के भीतर व बाहर की सफाई व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा सारा सामान, बर्तन, पानी आदि स्वयं रखना होगा तथा सफाई न करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
12– ठेकेदार को सारा सामान जनता के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए साफ सुथरा व सही रखना होगा। जांच के दौरान कोई सामान मिलावटी, खराब, सडा गला मिलने पर उसे जब्त कर फेंक दिया जायेगा तथा ठेका रद्द कर जमा की गयी रकम जब्त करते हुए शर्त सं0–5 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
13– जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा तथा हर ठेकेदार को सार्वजनिक स्थान पर व अपनी दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरों के अनुरूप अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा स्वीकृत की गयी होगी तथा कोई भी ठेकेदार पालीथिन का प्रयोग नही करेगा।
14– प्रत्येक ठेकेदार को अपनी दुकान के लिए अस्थायी स्ट्रैक्चर निर्धारित स्थान पर स्वयं के खर्चे से करना होगा, जो ठेका समाप्ति की तिथि अथवा शर्त भंग की तिथि को अस्थायी स्ट्रैक्चर स्वंय हटाना होगा। जनपद न्यायाधीश महोदय, फिरोजाबाद के निर्देशानुसार पूर्व से ही स्थान का निर्धारण निश्चित है, निर्धारित स्थान पर ही ठेका कार्य किया जायेगा तथा ठेकेदार पानी व बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
15– वर्ष 2026–2027 में जिन ठेकेदारों द्वारा न्यायालय परिसर में कोई भी ठेका पूर्व में स्वंय के या अपने अन्य किसी परिवारीजनों एवं परिचित रिश्तेदारों के नाम से लिया गया है और अभी तक ठेके की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की है तो उक्त ठेकेदार को इस वर्ष की नीलामी में भाग लेने हेतु पूर्व वर्ष की शेष धनराशि को आवेदन के समय नजारत में जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा वह बोली में भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा।

(नरेश कुमार दिवाकर)	(मुमताज अली)	(सुनील कुमार सिंह)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/	सदस्य, ठेका नीलामी समिति/	अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/